रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 2002 (भाद्रपद 2, 1924)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 2002 (BHADRA 2, 1924)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई-400005, दिनांक 2 जुलाई 2002

संदर्भ : बैंपविवि. सं. आईबीएस. 69/23.13.122/2002-03--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किए जाने का निदेश देता है :

"एन्टवर्प डायमंड बैंक एन. वी."

के. एल. खेतरपाल
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2002

सं. यू-16/53/99 चि. (गुजरात)- कर्मचारी राज्य बीमा [illegible] विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को [illegible] शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम [illegible] 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक [illegible] तथा महानिदेशक के आदेश संख्या [illegible] ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर [illegible] शाह, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के [illegible] पर 1-8-2002 से 31-7-2003 तक की अवधि [illegible] आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित [illegible] अहमदाबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य [illegible] तथा मूल प्रमाण-पत्र का [illegible] जारी करने के प्रयोजन के लिए [illegible] के लिए प्राधिकृत करती है।

डॉ. [illegible] सुभा [illegible]
चिकित्सा आयुक्त

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-11 0002, दिनांक जुलाई 2002

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति तथा वृत्तिक उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (प्रथम संशोधन) विनियम 2002

सं. एफ. 1-1/2002(पी.एस.) एक्ज़ैम--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) तथा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र-संख्या एफ 1-93/74 (सी.पी.पी.) भाग (V) दिनांक 13 जून 1983, पत्र संख्या एफ 1-11/87 (सी.पी.पी.-II) दिनांक 19 सितम्बर 1991 तथा पत्र-संख्या एफ-1-11/87 (सी.पी.पी.) दिनांक 21 जून 1995 तथा अधिसूचना संख्या 1-93/74 (सी.पी.) दिनांक 19 फरवरी 1985, 26 नवम्बर 1985 तथा संख्या एफ. 3-1/94 (पी.एस.) दिनांक 24 दिसम्बर 1998 तथा यू.जी.सी. विनियम संख्या एफ. 3-1/2000 (पी.एस.) दिनांक 4-4/2002, का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति तथा वृत्तिक उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियम 2000 के संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :--

1 संक्षिप्त नाम, लागू होना एवं प्रारम्भ :

(i) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति तथा वृत्तिक उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) (प्रथम संशोधन) विनियम 2002 कहा जाएगा

(ii) ये विनियम केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा/के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त प्रत्येक अंगीभूत अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान पर संबंधित विश्वविद्यालयों के परामर्श से, तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे।

(iii) ये विनियम तात्कालिक रूप से प्रभावी होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति तथा वृत्तिक उन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियम 2000 में जहां भी निम्नलिखित पैरा अवतरित होता हो :--

'प्राध्यापक (लेक्चरर) के रूप में नियुक्ति हेतु 'नेट' उन उम्मीदवारों के लिए भी एक अनिवार्य अपेक्षा बनी रहेगी जिनके पास पीएच डी. की डिग्री है। बहरहाल, उन उम्मीदवारों को 'नेट' परीक्षा में बैठने से छूट दी जाती है जिन्होंने 31 दिसम्बर 1993 तक एम.फिल. की डिग्री पूरी कर ली है या संबंधित विषय में पीएच.डी. का शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर दिया है।'

उसे निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाए :

'प्राध्यापक (लेक्चरर) के रूप में नियुक्ति हेतु 'नेट' उन उम्मीदवारों के लिए भी एक अनिवार्य अर्हता बनी रहेगी जिनके पास पीएच डी. की डिग्री है। बहरहाल, उन उम्मीदवारों को 'नेट' परीक्षा में बैठने से छूट दी जाती है जिन्होंने 31 दिसम्बर 1993 तक एम. फिल. की डिग्री पूरी कर ली है या संबंधित विषय में पीएच.डी. का शोध-प्रबंध 31 दिसम्बर, 2002 को या उसके पूर्व प्रस्तुत कर दिया है। यदि ऐसे उम्मीदवार पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त [illegible] असफल रहते हैं तो उनके लिए नेट परीक्षा [illegible] होगा।'

तिलक आर. कैम
अपर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Mumbai–400005, the 2nd July 2002

Ref. DBOD. No. IBS.69/23.13.122/2002-03.—In pursuance of Clause (a) of sub-Section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion, in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :—

"Antwerp Diamond Bank N.V"

K. L. KHETARPAUL
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th July 2002

No. U-16/53/99-Med. II (Guj.).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024 (G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) Sunanda G. Shah, PTMR to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms for a period of one year from 1-8-2002 to 31-7-2003 for Asarwa Centre, Ahmedabad for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in universities and institutions affiliated to it) (Ist Amendment) Regulations 2002

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi–110002, the July 2002

No. F. 1-1/2--2(PS) Exemp.—In exercise of the powers conferred by clause (e) & (g) of sub-section (1) of Section 26 read with Section 14 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the Regulations issued under University Grants Commission letter No. F.1-93/74 (CPP) Part (V) dated 13th June, 1983, No. F.1-11/87 (CPP-II) dated 19th September, 1991 and No. F.1-11/87 (CPP) dated 21st June, 1995 and No. 1/93/74 (CP) dated 19th February, 1985, 26th November, 1985 and No. F.3-1/94 (PS) dated 24th December, 1998 and UGC Regulations No. F.3-1/2000 (PS) dated 4-4-2000, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations to amend the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in universities and institutions affiliated to it) Regulation, 2000, namely :—

1. Short Title, Application and Commencement :

(i) These regulations may be called University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in universities and institutions affiliated to it) (Ist Amendment), Regulation, 2002.

(ii) They shall apply to every university established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated college recognized by the Commission, in consultation with the

university concerned under Clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, and every institution deemed to be a university under Section 3 of the said Act.

(iii) They shall come into force with immediate effect.

In the University Grants Commission (Minimum Qualifications required for the appointment and Career Advancement of teachers in universities and institutions affiliated to it) Regulation, 2000, wherever the following para occurs :

"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D. degree. However, the candidates who have completed M.Phil degree or have submitted Ph.D. thesis in the concerned subject upto 31st December, 1993 are exempted from appearing in the NET examination."

It should be substituted with the following para :—

"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D. degree. However, the candidates who have completed M.Phil degree by 31st December, 1993 or have submitted Ph.D. thesis to the university in the concerned subject on or before 31st December, 2002 are exempted from appearing in the NET examination. In case such candidates fail to obtain Ph.D. degree, they shall have to pass the NET examination."

DR. TILAK R. KEM
Additional Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2002
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2002